सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 88/2018

1. भूपेन्द्र पुत्र श्री मोहनलाल जाति धाकड निवासी रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां
2. योगेन्द्र पुत्र श्री मोहनलाल जाति धाकड निवासी रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादीगण

♠ बनाम ♠

1. मोहनलाल पुत्र श्री मोतीलाल जाति धाकड निवासी रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री दयाकृष्ण धाकड
दायरा दिनांक: 02.08.2018 निर्णय दिनांक : 31.08.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण की पैतृक आराजी ग्राम रायथल की जमाबंदी सम्वत 2073–76 में खाता संख्या 435 खसरा नं0 1417 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 2769 रकबा 3.65 है0, खसरा नं0 2793 रकबा 3.65 है0 कुल किता 3 रकबा 7.47 है0 दर्ज रेकार्ड है। जो वादीगण के पिता प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी वादीगण की पुश्तैनी व पैतृक आराजी है जिसमें वादीगण का जन्म से हित निहित है। प्रतिवादी कम 1 द्वारा वादीगण को उनके हिस्से की आराजी काश्त करने हेतु संभला रखी है जिसे वादीगण कई वर्षो से काश्त करते आ रहे है। उक्त वर्णित आराजी में वादीगण का 1/3 हिस्से पर पैतृक हक अधिकार है जिसे वादीगण गत कई वर्षो से काश्त करते आ रहे है। अतः बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री पारित की जावें कि ग्राम रायथल की खाता संख्या 435 खसरा नं0 1417 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 2769 रकबा 3.65 है0, खसरा नं0 2793 रकबा 3.65 है0 कुल किता 3 रकबा 7.47 है0 में हिस्सा 1/3 का प्रत्येक वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु प्रतिवादी कम 2 को आदेश दिया जावें व उक्त आराजी में से हिस्सा वादीगण प्रत्येक का 1/3 पृथक पृथक वादीगण व प्रतिवादी कम 1 के पृथक से खाते दर्ज किया जावें तथा राजस्व रेकार्ड में पृथक से दर्ज किया जाकर पृथक से कर्ता पिलाई कायम किये जाने के आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 02.08.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम पारेता

वकालत नामा प्रस्तुत किया। वादीगण व प्रतिवादी कम 1 द्वारा दिनांक 31.08.2018 को मजमे आम में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया राजीनामा अनुसार वादी नं0 1 भूपेन्द्र पुत्र श्री मोहनलाल को ग्राम रायथल की आराजी 2769 रकबा 3.65 है0 में से उत्तरी दिशा की 2.49 है0 आराजी प्राप्त हुई है जिस पर वादी कम 1 को खातेदार घोषित किया जावें। वादी कम 2 योगेन्द्र पुत्र श्री मोहनलाल को ग्राम रायथल की आराजी खसरा नं0 2793 रकबा 3.65 है0 में से उत्तरी दिशा की 2.49 है0 आराजी प्राप्त हुयी जिस पर वादी कम 2 को खातेदार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी कम 1 को खसरा नं0 2769 में से 1.16 है0 दक्षिणी दिशा व खसरा नं0 2793 में से 1.16 है0 दक्षिणी दिशा व खसरा नं0 1417 रकबा 0.17 है0 सम्पूर्ण आराजी प्राप्त हुई है जिस पर प्रतिवादी कम 1 मोहनलाल पुत्र श्री मोतीलाल को खातेदार घोषित किया जावें।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। प्रकरण में दिनांक 31.08.2018 को वादीगण के अधिवक्ता व प्रतिवादी कम 1 के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अतः सुनी गयी बहस तथा वादीगण व प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायथल की जमाबंदी सम्वत 2073–76 में खाता संख्या 435 खसरा नं0 1417 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 2769 रकबा 3.65 है0, खसरा नं0 2793 रकबा 3.65 है0 कुल किता 3 रकबा 7.47 है0 में वादीगण कम 1 व 2 तथा प्रतिवादी कम 1 को निम्नानुसार खातेदार घोषित किया जाता है:–

01. वादी नं0 1 भूपेन्द्र पुत्र श्री मोहनलाल को ग्राम रायथल को आराजी खसरा नं0 2769 रकबा 3.65 है0 में से उत्तरी दिशा की 2.49 है0 आराजी का खातेदार कृषक।
02. वादी कम 2 योगेन्द्र पुत्र श्री मोहनलाल को ग्राम रायथल की आराजी खसरा नं0 2793 रकबा 3.65 है0 में से उत्तरी दिशा की 2.49 है0 आराजी का खातेदार कृषक।
03. प्रतिवादी कम 1 मोहनलाल पुत्र श्री मोतीलाल को ग्राम रायथल की आराजी खसरा नं0 2769 रकबा 3.65 है0 में से 1.16 है0 दक्षिणी दिशा व खसरा नं0 2793 रकबा 3.65 है0 में से 1.16 है0 दक्षिणी दिशा व खसरा नं0 1417 रकबा 0.17 है0 सम्पूर्ण आराजी का खातेदार कृषक।

तहसीलदार मांगरोल को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।